

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
आदेश

संचिका संख्या-04/आ0-03-1028/2015.....143 / राँची, दिनांक:- 5/6/18

श्री रामेश्वर सिंह, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, देवघर के विरुद्ध देवघर शहरी जलापूर्ति योजना में विभागीय आदेश एवं एकरारनामा के प्रावधानों के प्रतिकूल क्लेम तैयार कर संवेदक को अतिरेक भुगतान में सहयोग प्रदान करते हुए वित्तीय अनियमितता बरतने संबंधी आरोपों हेतु कार्यालय आदेश संख्या-159 दिनांक-06.08.2012 द्वारा आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त श्री सिंह के विरुद्ध माप पुस्तिका में एकरारनामा के प्रावधानों के विपरीत मापी अंकित करने का आरोप प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोप के विरुद्ध पत्रांक-4459 दिनांक-23.10.2013 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त की गयी। श्री सिंह के पत्रांक-शून्य दिनांक-16.11.2013 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा सहित सम्पूर्ण मामले के समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाये गये, जिसके विरुद्ध कार्यालय आदेश संख्या-59 सह पठित ज्ञापांक-821 दिनांक-20.02.2014 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध स्वीकृत काल वेतन मान में तीन वर्ष के लिए निम्नतम प्रक्रम पर अवनति का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

3. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में रिट याचिका WP(S) no- 2249/2014 दर्ज किया गया। उक्त वाद में दिनांक-14.10.2015 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पुनः श्री सिंह के विरुद्ध कार्यालय आदेश संख्या-9 सहपठित ज्ञापांक-266 दिनांक-20.01.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। साथ ही आदेश संख्या-111 सहपठित ज्ञापांक-2746 दिनांक-08.07.2015 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही हेतु गठित प्रपत्र-क में सादृश्य आरोप होने के कारण इस विभागीय कार्यवाही को भी आदेश संख्या-9 सहपठित ज्ञापांक-266 दिनांक-20.01.2016 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में समाहित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया।

4. जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके पत्रांक-318 दिनांक-25.04.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसके द्वारा सूचित किया गया कि श्री सिंह द्वारा जाँच संचालन में सहयोग नहीं किया गया एवं उपलब्ध साक्ष्य एवं कागजातों के आधार पर श्री सिंह के विरुद्ध माप पुस्तिका में एकरारनामा के प्रावधानों के विपरीत मापी अंकित करने का आरोप प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोप के विरुद्ध पत्रांक-2468 दिनांक-29.05.2017 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त की गयी। श्री सिंह के पत्रांक-शून्य दिनांक-22.08.2017 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी एवं पाया गया कि श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में आरोपों के संदर्भ में कोई नया तथ्य नहीं समर्पित किया गया है।

5. जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा सहित सम्पूर्ण मामले की समीक्षा सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गयी, जिसमें श्री सिंह के विरुद्ध माप पुस्तिका में एकरारनामा के प्रावधानों के विपरीत मापी अंकित करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है।

तत्पश्चात् संपूर्ण मामले पर विचारोपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश संख्या-59 सह पठित ज्ञापांक-821 दिनांक-20.02.2014 द्वारा अधिरोपित दण्ड यथा स्वीकृत काल वेतन मान में तीन वर्ष के लिए निम्नतम प्रक्रम पर अवनति का दण्ड को निरस्त करते हुए उक्त प्रमाणित पाये गये आरोपों हेतु श्री सिंह की एक वेतन वृद्धि संचयात्मक रूप से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में निम्न आदेश दिये जाते हैं:-

i. आदेश संख्या-59 सह पठित ज्ञापांक-821 दिनांक-20.02.2014 द्वारा अधिरोपित दण्ड यथा स्वीकृत काल वेतन मान में तीन वर्ष के लिए निम्नतम प्रक्रम पर अवनति का दण्ड को निरस्त किया जाता है।

ii. श्री रामेश्वर सिंह, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, देवघर सम्प्रति प्राक्कलक, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, दुमका की एक वेतन वृद्धि संचयात्मक रूप से अवरुद्ध की जाती है।



iii. कार्यालय आदेश संख्या-200 सहपठित ज्ञापांक-4232 दिनांक-28.09.2015 द्वारा पारित आदेश के कम में श्री सिंह को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान देय नहीं है।

iv. इस आदेश के साथ श्री सिंह के विरुद्ध कार्यालय आदेश संख्या-9 सहपठित ज्ञापांक-266 दिनांक-20.01.2016 एवं विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-111 सहपठित ज्ञापांक-2746 दिनांक 08.07.2015 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ज्ञापांक-04/आ0-03-1028/2015 2374 / राँची, दिनांक:- 5/6/18
प्रतिलिपि- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख कोषांग/सभी मुख्य अभियन्ता/सभी उप सचिव/ सभी अधीक्षण अभियन्ता (याँत्रिक सहित)/सभी अवर सचिव/सभी कार्यपालक अभियन्ता (याँत्रिक सहित)/ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03, एवं 04, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-04/आ0-03-1028/2015 2374 / राँची, दिनांक:- 5/6/18
प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-04/आ0-03-1028/2015 2374 / राँची, दिनांक:- 5/6/18
प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, देवघर/कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि पत्र की प्रति संबंधित कोषागार एवं श्री सिंह, को उपलब्ध कराते हुए पावती उपलब्ध कराई जाय।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-4/आ0-03-1028/2015 2374 राँची, दिनांक- 5/6/18
प्रतिलिपि- श्री रामेश्वर सिंह, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा-उड़वा जलापूर्ति प्रशाखा, प्रमण्डल-देवघर सम्प्रति प्राक्कलक, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-4/आ0-03-1028/2015 2374 राँची, दिनांक- 5/6/18
प्रतिलिपि-श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT, PMU) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

21/06/18
04/06/18